राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या–871/2015
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–404/2005

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांकः– **23–02–2018**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री वी.एस. यादव, अधिवक्ता अपीलार्थी ।
श्री रवि शंकर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4

अपीलार्थीया/प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सिविल प्रथम अपील संख्या–404/2005, जो दिनांक 16.05.2008 के अनुल्लंधनीय आदेश की पालना में दिनांक 21.07.2008 को निरस्त कर दी गई थी , को वापिस लेते हुए अपील पुनर्स्थापित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए 2662 दिन के विलम्ब को क्षमा करने हेतु पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

दोनों प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए योग्य अधिवक्ता प्रार्थीया/अपीलार्थीया का कथन है कि अपील सुनवायी हेतु ग्रहण की जा चुकी थी और अपीलार्थीया के पक्ष में अन्तरिम आदेश भी प्रभावी था । उनका कथन है कि अपील सुनवायी हेतु ग्रहण किए जाने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3, 6 व 8 से 11 जिनकी तामील नहीं हुई थी, के संबंध में नये सिरे से नोटिस व तलवाना प्रस्तुत किये जाने थे लेकिन उनके लिपिक की गलती से वे प्रस्तुत नहीं किए जा सके । दिनांक 16.05.2008 को जब प्रकरण सूचीबद्ध हुआ उस दिन प्रकरण उनके पास अंकित होना रह जाने से वे न्यायलय में उपस्थित नहीं हो सके। उनका आगे कथन है कि उनके पिता कई गंभीर रोगों से ग्रसित थे व गंभीर रूप से बीमार थे, अन्ततः जिनका देहान्त सन् 2009 में हो गया । इस

दौरान वे अपने पिता की बीमारी के कारण गंभीर मानसिक परेशानी में रहे । इस कारण अनुल्लंघनीय आदेश की पालना नहीं हो सकी तथा प्रकरण अपालना में निरस्त कर दिया गया । उनका कथन है कि जो अनुपस्थिति दिनांक 16.05.2008 की थी वह पूर्णतः सद्भाविक थी। उनकी भूल या गलती का दण्ड उनके पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। यदि प्रकरण पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो अपीलार्थीया न्याय प्राप्त करने से वंचित रहेगी व उसे अपूर्णीय क्षति व हानि कारित होगी । उनका आगे कथन है कि जब अपीलार्थीया ने व्यक्तिशः उनसे दिनांक 23.09.2015 को संपर्क किया और प्रकरण की स्थिति जाननी चाही तो सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 21.07.2008 को ही निस्तारित हो चुका है । उसके तुरन्त बाद प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर यह प्रार्थना पत्र बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार जो भी विलम्ब हुआ है वह सद्भाविक है व उसमें अपीलार्थीया की कोई त्रुटि या लापरवाही नहीं है । साररूप में उनका कथन है कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह संतोषजनक तरीके से स्पष्टीकृत कर दिया गया है अतः दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाकर अपील पुनर्स्थापित की जावे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसका विरोध करते हुए योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रार्थना पत्र अति विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिसे संतोषजनक तरीके से स्पष्टीकृत नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र में इस आशय का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इतनी लंबी अवधि में अपीलार्थीया ने अपने अधिवक्ता से संपर्क क्यों नहीं किया । प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए गए हैं वे केवल न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से झूंठे व बनावटी अंकित किए गए हैं । अपीलार्थीया स्वयं पैरवी में लापरवाह रही है, ऐसा नहीं है कि उसके अधिवक्ता की कोई लापरवाही रही हो। साररूप में उनका कहना है कि न तो प्रार्थना पत्र में विलम्ब क्षमा कराने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण दर्शित किया गया है और न इस संबंध

में कोई सामग्री ही अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है । अतः दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त किए जावें ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा रखे गए कथनों पर विचार किया गया व संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपील दिनांक 03.06.2005 को सुनवायी हेतु ग्रहण कर ली गई थी और आक्षेपित डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित किये जाने का अन्तरिम आदेश अपीलार्थीया के पक्ष में दिया गया था तथा प्रत्यर्थीगण को सुनवायी के नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए थे । अपीलार्थीया द्वारा आवश्यक नोटिस व तलवाना प्रस्तुत कर दिए गए थे व प्रत्यर्थीगण संख्या 1, 2, 5, 7, 12 व 13 पर तामील पूर्ण हो गई थी व प्रत्यर्थी संख्या 3,4,6 के नोटिस अदम तामील प्राप्त हुए थे व प्रत्यर्थी संख्या 8 से 11 के नोटिस तामील की प्रतीक्षा में थे । दिनांक 17.04.2007 को प्रत्यर्थीगण संख्या 3, 6 व 8 से 11 के नये सिरे से नोटिस व तलवाना प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे जिसकी पालना अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कर दी गई थी । लेकिन उक्त प्रत्यर्थीगण पर तामील नहीं हो सकी थी व अपीलार्थी के अधिवक्ता को नये सिरे से नोटिस व तलवाना प्रस्तुत करना था जो नहीं किया गया। अन्ततः दिनांक 16.05.2008 को जब अपील सूचीबद्ध हुई तो उस दिन अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था और अपील में निम्न आदेश पारित किया गया थाः–

> ''अपीलार्थीया द्वारा अभी तक इस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 3,6,8,9,10 व 11 के लिए आवश्यक नोटिस–तलवाना आदि नहीं किये गये हैं, अतः न्याय हित में इस हेतु उन्हें एक सप्ताह का अंतिम अवसर दिया जाता है । यदि अपीलार्थीया द्वारा इस आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 3,6,8,9,10,11 के लिए आवश्यक नोटिस–तलवाना आदि एक सप्ताह में पेश नहीं किये जाते हैं तो यह अपील बिना इस न्यायालय को संदर्भित किये स्वतः ही खारिज समझी जावेगी ।''

जिसकी पालना नहीं होने पर अपील दिनांक 21.07.2008 को निरस्त कर दी गई थी ।

प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए गए हैं उनके समर्थन में स्वयं अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसका कोई खण्डन प्रत्यर्थीगण की ओर से नहीं है । निर्विवादित रूप से अपील सुनवायी हेतु ग्रहण की जा चुकी थी इस स्थिति में आवश्यक नोटिस व तलवाना अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना था। अपीलार्थीया पर्दानशीन महिला है और अलवर की निवासी है। इन तथ्यों व परिस्थितियों में ऐसा प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थीया की कोई लापरवाही प्रकरण में रही हो । ऐसा कोई तथ्य प्रत्यर्थीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थीया को अपील निरस्त होने की जानकारी जैसा प्रार्थना पत्र में बताया गया है, उससे पूर्व में हो गई हो । यह स्वीकृत न्यायिक स्थिति है कि किसी अधिवक्ता की भूल या गलती का दण्ड पक्षकार को नहीं दिया जा सकता । प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात् यह प्रकट होता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सी.पी.सी. प्रस्तुत करने में यद्यपि 6 वर्ष से अधिक का विलम्ब कारित किया गया है लेकिन उस विलम्ब को संतोषजनक तरीके से स्पष्टीकृत कर दिया गया है परन्तु विलम्ब की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम 25,000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी उसमें अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया जाता है । अपीलार्थी आज से एक माह में 25000/– रूपये हर्जा सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराकर उसकी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। अपीलार्थी द्वारा एक माह में उक्त हर्जा जमा नहीं करवाए जाने पर यह दोनों

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को सन्दर्भित किए बिना स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे व हर्जा उक्त अवधि में जमा होने पर सिविल प्रथम अपील संख्या–404/2005 को उसके मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/44

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official